



Neutral Citation No. - 2026:AHC:170306

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 संख्या- 7932/2026

जनवेद कुमार

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : राज कुमार मिश्रा

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना तथा अभिलेख का भी परिशीलन किया।

2- वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 640 सन् 2025, धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, थाना-औरैया, जनपद-औरैया के अन्तर्गत इस प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है कि उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

3- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि यह दूसरा अग्रिम जमानत आवेदन है। आवेदक का प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन इस स्वतंत्रता के साथ निरस्त कर दिया गया था कि न्यायालय के नियमों के अध्याय XVIII नियम 18(7) के अनुसार अपेक्षित आपराधिक पूर्ववृत्त की व्याख्या करने के पश्चात आवेदक नया आवेदन दाखिल कर सकता है। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक का एक प्रकरण का आपराधिक इतिहास है, जिसकी विधिवत व्याख्या की गई है। वह पूर्व दोषसिद्ध व्यक्ति नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि आवेदक मात्र एक ट्रक चालक है, जिसके बारे में कहा गया है कि वह खाद्यान्न का परिवहन कर रहा था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप तीन अन्य सह-अभियुक्तों

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



द्वारा चलाए जा रहे एक ट्रक से दूसरे ट्रक में खाद्यान्न स्थानांतरित किए जाने के थे। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि समान रूप से स्थित सह-अभियुक्त सुभाष चन्द्र, प्रांशु एवं अशोक सिंह, जो इसी प्रकार ट्रक चालक थे, को इस न्यायालय द्वारा एन.ए.बी.ए.आई.एल. संख्या 5616 सन् 2026, 5625 सन् 2026 तथा 5646 सन् 2026 में अग्रिम जमानत प्रदान की गई है। आवेदक का प्रकरण भी समान आधार पर स्थित है।

4- विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है, तथापि, वह इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि आवेदक का प्रकरण सह-अभियुक्तों के समान आधार पर स्थित है और न ही आवेदक द्वारा अपने आपराधिक पूर्ववृत्त के संबंध में दी गई व्याख्या पर विवाद कर सके।

5- मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार किया है।

6- प्रथम सूचना रिपोर्ट के परिशीलन से यह स्पष्ट नहीं है कि आवेदक द्वारा किस नियंत्रण आदेश का उल्लंघन किया गया है। न्यायालय की प्रथमदृष्टया राय में, ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि किसी नियंत्रण आदेश का उल्लंघन किया गया है और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कोई अपराध बनता है। यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि प्रश्नगत खाद्यान्नों का कालाबाजारी किया जा रहा था। समान परिस्थिति वाले सह-अभियुक्तों को इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की गई है।

7- प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूँ।

8- उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

9- आवेदक-**जनेवद कुमार** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपर्युक्त मुकदमा अपराध में तत्काल अग्रिम जमानत पर, संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ रिहा किया जाएगा:-

i)- आवेदक जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ii)- आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को, ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख करने के लिए, कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा;

iii)- आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

iv)- आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे डराएगा-धमकाएगा;

10- उपर्युक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के प्रयोजन तक सीमित हैं और उन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

13 अगस्त, 2026

ए. पाण्डेय